सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 12, गुरूवार, *शाके* 1946-मई 02, 2024 *Vaisakha 12, Thursday , Saka 1946- May 02, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(फतेहपुर डिविजन)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 13, 2023

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

संख्या 4706138 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार सीकर जिले की रामगढ़ शेखावाटी तहसील में **रामगढ़ शेखावाटी बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 किमी 18/630 से बिसाऊ सड़क किमी 3/500 तक) सड़क निर्माण** के प्रयोजनार्थ सीकर जिले के निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

जिला	तहसील	गांव
सीकर	रामगढ़ शेखावाटी	1. रूकनसर, 2. रामगढ़, 3. ढेढी ढ़ाणी एवं 4. गुदड़वास

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड़-फतेहपुर द्वारा **"वंश कंसलटेन्सी, वार्डनं. 15, नीमकाथाना (राज) 332713"** एजेन्सी का चयन किया गया हैं।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात्प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्कसूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

खण्ड-फतेहपुर, जिला-सीकर 332301(राजस्थान)

फोननं. 9414071125

ई-मेलःeefatehpur@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

वंश कंसलटेन्सी,

प्रतिनिधि: अमितकुमार, मोबाईलः 9694916630

कार्यालयः वार्ड नं. 15, नीमकाथाना (राज) 332713

ई-मेलःvanshconsultancy26@gmail.com

आदेशद्वारा

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि. विभाग,
राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।